

कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी नरसिंहपुर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की क्रियान्वयन
परिशिष्ट 11 में 17 बिन्दुओं की जानकारी

परिशिष्ट-अ

क	कार्य / गतिविधि / याजना का नाम	<u>प्रभारी.विहित</u> अधिकारी	निपटारे की समय-सीमा	निर्धारित समयावधि में कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय-सीमा
1	2	3	4	5	6
अ	कोषालयों एवं संयुक्त संचालक कार्यालयों के लिए				
1	देयको के भुगतान के लिए	कोषालय अधिकारी	5 कार्यदिवस	संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	15 दिन
2	स्टाम्प वेंडरों द्वारा राशि जमा करने के उपरान्त स्टेम्प पेपर का प्रदाय करना	कोषालय अधिकारी	3 कार्यदिवस	संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	15 दिन
3	कोषालयों में पीपीओ प्राप्त होने पर पेंशन का भुगतान आरम्भ किया जाना	कोषालय अधिकारी	2 माह	संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	15 दिन
4	कोषालय में प्रकरण प्राप्त होनेके पश्चात पीपीओ जारी करना।	कोषालय अधिकारी	3 माह	संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	15 दिन
5	पेंशनरों द्वारादिये गए आवेदनपत्रों का निराकरण	कोषालय अधिकारी	15 कार्यदिवस	संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	15 दिन
6	पेंशनरों के पीपीओ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करना	कोषालय अधिकारी	1 माह	संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	15 दिन
7	चालान की डुप्लिकेट प्रति उपलब्ध करना	कोषालय अधिकारी	3 कार्यदिवस	संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	15 दिन
8	पेंशन प्रकरणों का पुनरीक्षण	कोषालय अधिकारी	3 माह	संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	15 दिन

कोषालय अधिकारी
नरसिंहपुर